

REFERENCE BY THE CHAIRMAN

**Condolence of deaths of school children in fire accident in
Kumbakonam, Tamil Nadu**

MR. CHAIRMAN: Hon. Members, the nation is deeply shocked to learn about the tragedy in which several children lost their lives in a fire accident in a private school in Kumbakonam in Thanjavur District in Tamil Nadu this morning. We join the people of Tamil Nadu in their hour of grief and convey our heart-felt condolences to the bereaved families.

I request hon. Members to rise in their seats and observe silence for one minute as a mark of respect to the departed souls.

(Hon. Members then stood in silence for one minute.)

MR. CHAIRMAN: Mr. Natchiappan, please continue.

RESOLUTION

**Extension of Reservation Policy meant for SCs, STs and OBCs to
Private Sector —(Contd.)**

SHRI E.M. SUDARSANA NATCHIAPPAN: Sir, through the Government machinery, the Information and Broadcasting Ministry was showing mass communication programmes about making the people of the country, especially those belonging to the Dalit and the Scheduled Tribe communities, aware of the Government programmes.

[THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SANTOSH BAGRODIA) in the Chair]

They were abandoned during her period. And I was told that even now the Government is thinking of disbanding that particular Department, the Department of Mass Communication and Field Publicity. This Department of Field Publicity is very important, because the Government programmes can reach the people living in villages where there is no provision for a television and where there is no facility for mass media to communicate what are the programmes run by the Government for the people. We may be thinking that the television has reached such and such percentage of people of the country. But many people do not see all the programmes. What is the other source of information available to

people who are not seeing programmes concerning news-items? They see only certain serials just to while away the time. But they want to know from us, or from the Government machinery, as to what are the programmes we are having for them, in which way they can get benefit from those programmes. I know all this because I was Chairman of the Mandal Samiti; at that time, I used to go, along with the officials, to the villages where cultural programmes were organised, and I met the people coming from various places and assembling in a small village. Through various programmes, songs and dramas, the information concerning the 20-Point Programme was given to them, and they tried to come to the national mainstream by getting themselves involved in the 20-Point Programme. The programme was very successful during Shrimati Indira Gandhi's period. The programme was such a success during the period of Shri Rajiv Gandhi also that communication was very nearer to the people and the people were benefited. Many unemployed people got employment. They were able to develop their efficiency; they went to foreign countries; they earned a lot of money and they created assets. The assets creation in the villages created social tension also. However, we are proud that so many SC and ST people had come up in life and improved their status to the extent of having a house, good education and employment, and having a good family life. Now, we are having a backlog and a number of people are suffering at the lower grades in Government service. Many cases are pending in the Supreme Court and the High Courts. They are giving directions that these vacancies should be filled up immediately. The Constitution Amendments of 2000 and 2001 also enunciate the same thing. But the Departments are not doing it. Therefore, there should be some machinery.

[THE VICE CHAIRMAN (SHRI BALAWANT ALIAS BALAPTE) in the Chair.]

During Shri Rajiv Gandhi's period, an aggressive propaganda was made and every Department was asked to give the number of posts available for SCs and STs and they were directed that those posts should be filled up within six months. That was the command given by Shri Rajiv Gandhi and millions of people were benefited by that aggressive and war-footing method. The same method should be followed by this Government also to see that the Eighty-First and the Eighty-Fifth

[16 July, 2004]

RAJYA SABHA

Constitution Amendments are totally complied with and they are followed in letter and spirit.

As far as the disinvested public sector undertakings are concerned, we have invested certain money in those public sector undertakings. But we have opened them to the private sector. When they go to the private hands, at least, to the extent of our share, there should be reservation for the SCs, STs and OBCs. The Mandal Commission has provided for job opportunities. But it has not made any provision for the purpose of education. You have to acquire a Bachelors Degree or a Masters Degree to go up in the ladder. Then only you will get an opportunity in any sector. Therefore, the reservation policy for the OBCs, SCs and STs should be reviewed and they should get more opportunities for education in Government schools and colleges as also private schools and colleges, and they should also get employment opportunities in the private sector.

As Shri Gavai has stated, Mahatma Gandhi said that the private sector should be on the basis of trusteeship. All our land, water and other assets should be used by the private sector for the purpose of the society and not for themselves. Today, the corporate sector mindset is something different. They want to have a lot of money at one go and vanish afterwards. This type of a corporation should not be there. The corporate sector should first serve the society and see that the profits are ploughed back to the society in different ways. Therefore, there should be reservation for the people belonging to the SCs, STs and OBCs in the corporate sector. We are not begging, saying that we have got only 45 per cent marks. There are plenty of SC, ST and OBC people who have got 98 or 99 per cent marks. They are also not getting jobs. This is what we are worried about. Therefore, those people who have got good education and good marks, and shown their skill should get better employment opportunities to come up in life.

Sir, we have got a calculation method in our Departments. Whenever they implement any rural development programme or social welfare programme, they calculate the man-days. They calculate the number of man-days taken for laying a road or constructing a building with a particular fund. Nowadays, everything is done by the machines. But they report to the Government that so many number of man-days have been taken. They are giving a calculation. The former NDA Government told us that

78 lakh people got employment. That was calculated on the basis of man-days. That is not the real days. It is not that the real man is being utilised. Only machines and contractors are being utilised. The jobless people are not getting any work. Sir, when I visited my Constituency and some other areas, I asked the people whether they are getting jobs and whether they have enrolled themselves in the Panchayats or Samitis for getting employment under the 100-days Employment Guarantee Scheme. They said, "No, we are not getting any employment opportunities." Here is a Government which is ready to come forward with a law for assuring that at least 100-days employment is there for the jobless. A person, who is not getting any job, can even initiate legal proceedings against the Government for getting a job. If we can pass this type of legislation, the educated people will be able to get a job. In the meantime, social security schemes should be initiated by different Departments and efforts should be made to streamline the existing schemes. Some committees should be constituted to look into these things. The most backward people, economically and socially, should have the first priority for getting houses. They should have the first priority for availing the Mid-Day Meal scheme. They should have the first priority for getting jobs. They should be extended health insurance schemes. Just like the ESI scheme, they should be given health cards. They should have the facility of going to any health centre or any hospital for treatment and the Government should bear the full cost of the treatment. Until such types of health facilities are made available, we cannot expect the same thing from hospitals and Primary Health Centres, which existed 30 years ago. This scheme of Primary Health Centres was initiated by the Congress Government. Every village having a population of 10,000, should have a hospital, with all kinds of facilities including bed facilities, Operation Theatre, a doctor who would be sitting there for 24 hours to attend to any emergency cases, then ambulance and communication facilities should also be there. There should be a maternity centre also. Every facility should be there in that hospital. When the Primary Health Centres were handed over to the States to maintain them, they could not maintain them. We found that there was no doctor, there was no electricity and there was nobody to look after the machinery. Instead of spending money like this and keeping the assets of the society unused, let us have a new thinking. Each and every citizen should be issued a health card so that he can go to any hospital for treatment.

In the same way, we should do certain things for education. The Kendriya Vidyalayas were started for children of Government servants and poor people. I read in some newspaper that now the children of rich people are also studying there. Shri Rajiv Gandhi had initiated the Navodaya Vidyalaya scheme. But Tamil Nadu could not get any benefit out of this scheme. We were very unfortunate for not getting this scheme implemented because of the imposition of the Hindi language. But later on it was made optional. Even then, the State Government was not ready to implement this scheme. This scheme was very beneficial throughout India. A child who is admitted to the Navodaya Vidyalaya in the 1st standard, comes out of the school after passing 10+2, without spending a single pie on uniform, books and shelter. This type of scheme has helped millions of people to come out of the clutches of poverty. The social structure is going through very fast changes. Now the people are awakened and they expect many things from the Government. No doubt, in the globalised economy the Government cannot fulfil the aspirations of all the people. But at the same time, the Government has got an obligation to fulfil certain things so that the taxpayers feel satisfied that the Government is doing certain things in a proper way.

I would like to conclude after making certain observations. The people are having very great expectations from the Government. It is a cohesive Government and we have a very good system of monitoring mechanism under the chairmanship of Shrimati Sonia Gandhi. Therefore, we are happy that every programme, every promise that we have made in the CMP, will be implemented. And, this Resolution, which has been brought forward by Shri Gavai, is also one amongst them. Therefore, I support this Resolution. At the same time, since the CMP has already assured it, the Government will look after it. Thank you.

श्री मूलचन्द मीणा (राजस्थान): उपसभाध्यक्ष महोदय, इस सदन के माननीय सदस्य श्री आरुणसू गवई जी ने जो संकल्प उपस्थित किया है, वह बहुत ही महत्वपूर्ण है और समय की आवश्यकता के अनुसार है। इस संकल्प के आधार पर यूपीए गवर्नमेंट का जो आश्वासन है, वह भी पूरा होता है। इसलिए मैं आग्रह करूंगा कि इस पर एक संशोधित विधेयक लाया जाए जिससे समाज में अनादि काल से कुचले, दबे हुए और शोषित लोगों को विकासशील समय के अनुरूप, विकास के रास्ते पर, विकासशील लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने का मौका मिले और उनका उत्थान हो सके।

महोदय, हमारे संविधान निर्माताओं ने सरकारी नौकरियों में शैड्यूल्ड कास्ट्स और शैड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों के लिए रिजर्वेशन का प्रावधान किया था क्योंकि समाज में उनका दर्जा बहुत छोटा समझा जाता था। उनके सामने दो तरह की समस्याएं थीं - आर्थिक और सामाजिक। हम पिछले कुछ दिनों से शैड्यूल्ड कास्ट्स और शैड्यूल्ड ट्राइब्स को सामूहिक रूप से जोड़कर, इस समस्या से छुटकारा पाना चाह रहे थे, लेकिन इस समस्या का निवारण नहीं हो पाया।

महोदय, आज यह समझने की आवश्यकता है कि शैड्यूल्ड कास्ट्स की समस्या कुछ और है, शैड्यूल्ड ट्राइब्स की समस्या कुछ और है। अनुसूचित जाति के लोगों के सामने सामाजिक समस्याएं थीं। उनको समाज में अछूत समझा जाता था और उनका जीना भी अपवित्र माना जाता था, ऐसे समाज में वे लोग जी रहे थे। दूसरी ओर ट्राइबल्स की समस्याएं, आर्थिक समस्याएं थीं, उनके सामने कोई सामाजिक समस्याएं नहीं थीं। इस देश का बहुत बड़ा वर्ग समाज में पिछड़ा और शोषित था और उनके लिए नौकरियों में रिजर्वेशन की व्यवस्था की गई। यह कार्यक्रम चलता रहा और नौकरियों में उनको रिजर्वेशन के आधार पर रोजगार मिलता रहा, नौकरियां मिलती रहीं, लेकिन 50 सालों की आजादी के बाद भी जो आरक्षण की व्यवस्था थी, जितने पदों पर शैड्यूल्ड कास्ट्स और शैड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों को नौकरियां मिलनी चाहिए थीं, वे पूरे नहीं हो पाए। उस रिजर्वेशन के ऊपर न्यायालयों के भी हमले होते रहे, कुछ उच्च वर्ग के लोगों के हमले इन वर्गों के ऊपर और सरकार के ऊपर होते रहे। उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि दिल्ली के अंदर शैड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों के लिए नौकरी में रिजर्वेशन की व्यवस्था थी, लेकिन पिछले कुछ दिनों से दिल्ली में शैड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों का रिजर्वेशन बंद कर दिया गया है। मुझे नहीं पता कि किस कानून के तहत, कौन से संविधान संशोधन के तहत ट्राइबल लोगों का रिजर्वेशन दिल्ली के अंदर नौकरियों में बंद किया गया है। इस प्रकार के कृत्य से यह लगता है कि कुछ वर्गों के लोग नहीं चाहते कि ट्राइबल लोगों को, दिल्ली में रहने वाले ट्राइबल लोगों को नौकरियों में आरक्षण मिल सके, उन्हें रोजगार मिल सके। पढ़े-लिखे बेरोजगार होने पर शैड्यूल्ड कास्ट और शैड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों में ऐसी कुंठित धारणा बनती जा रही है कि उन्हें रोजगार नहीं मिलता है। जिनको काम नहीं मिलता है, जिनके पास उपार्जन का साधन नहीं होता है, तो वे गलत रास्ते पर चले जाते हैं। इससे देश की एकता और अखंडता को भी खतरा है। शोषित और पीड़ित वर्ग के जो लोग हैं, यदि उनको रोजगार नहीं मिलता है, तो वे गलत रास्ता चुन लेते हैं। कुछ आतंकवादियों के साथ जुड़ जाते हैं, कुछ गलत धंधा करने वाले लोगों के साथ जुड़ जाते हैं, ड्रग इत्यादि का गलत काम करने वाले लोगों के साथ जुड़ जाते हैं। इसलिए इसको रोकने के लिए उनको रोजगार देना जरूरी है। उनके लिए आवश्यक है कि नौकरियों में रिजर्वेशन करके उनको रोजगार देने की पक्की व्यवस्था की जानी चाहिए।

मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि आप जब अपना जबाब दें तो उसमें दिल्ली की स्थिति को भी स्पष्ट कर दें कि संविधान में कोई संशोधन नहीं किया गया है। कौन ऐसे लोग हैं, जिन्होंने दिल्ली के अंदर ट्राइबल लोगों के रिजर्वेशन को नौकरियों में खत्म किया है, कौन ऐसे अधिकारी हैं, किस वर्ग के अधिकारी हैं, उनका क्या दृष्टिकोण है? इस देश में गरीब का साथ देने के लिए यदि कोई आता है तो उसकी कोई सुनवाई नहीं होती है। रिजर्वेशन कैसे खत्म हुआ? क्या संसद में कोई संशोधन पास हुआ है या विधान सभा में कोई संशोधन पास हुआ है? कुछ लोगों की, अधिकारियों की एक सोच के तहत इसको किया गया है। दिल्ली के अंदर 1981 के अंदर तक ट्राइबल की जनगणना होती रही और 1981 की जनगणना में ट्राइबल की जनसंख्या करीब 20 लाख बताई गई है। लेकिन 1991 की जनगणना में शैड्यूल्ड ट्राइब्स के कालम में एक भी नाम दर्ज नहीं किया गया है और वर्ष 2001 की जनगणना में ट्राइब्स का कालम बिल्कुल खाली रखा गया है। मंत्री जी, इस बात का जवाब दें, सरकार इस बात का जवाब दें कि क्या कारण थे जिनके आधार पर ट्राइबल लोगों की जनगणना को बंद किया गया, उसको किस कानून के तहत बंद किया गया? सरकार को ट्राइबल लोगों की जनगणना करनी चाहिए। इसके लिए कौन अधिकारी दोषी है जिसने इस प्रकार का कुतराघात एक शोषित समाज के ऊपर किया है। वह चाहे कितना ही बड़ा अधिकारी हो, उसके खिलाफ क्या कार्यवाही करने जा रहे हैं? इससे दूसरे अधिकारियों को भी पता चल जाये कि यदि वे शैड्यूल्ड कास्ट, शैड्यूल्ड ट्राइब्स के अधिकारों का हनन करेंगे, तो उनके खिलाफ भी ऐसी ही कार्यवाही होगी। मैं यह भी जानना चाहता हूं। आपने शैड्यूल्ड कास्ट्स और शैड्यूल्ड ट्राइब्स, दो कमीशन बना दिए। अच्छी बात है कि कमीशन बनाए हैं, लेकिन उनको कुछ ज्यूडिशियरी पावर तो दीजिए। नाम के लिए कमीशन बिठा दिये जाएं और कमीशन के चेयरमैन या डायरेक्टर कुछ नहीं कर पाएं तो क्या फायदा? उस कमीशन को पावर दीजिए, ज्यूडिशियरी पावर दीजिए ताकि वे कुछ कर सकें। महोदय, मेरे पास शैड्यूल्ड कास्ट्स और शैड्यूल्ड ट्राइब्स के कर्मचारी, शिक्षित और बेरोजगार लोग आते हैं। कई कर्मचारी इस बात के लिए आते हैं कि हमारे प्रमोशन के मामले में हमारे साथ ऐसा किया जा रहा है। मेरे पास कास्ट्स विभाग के कुछ इंस्पेक्टर एक डेलीगेशन लेकर आए और उन्होंने कहा कि हमारे डिपार्टमेंट में 136 इंस्पेक्टरों की प्रमोशन होनी थी। कुछ अधिकारियों ने मिलकर ट्राइबल कास्ट के इंस्पेक्टरों की प्रमोशन नहीं की, जनरल कैटेगरी के लोगों की प्रमोशन कर दी गयी और उन पोस्ट्स को भर दिया गया। मैंने उनको शैड्यूल्ड कास्ट्स और शैड्यूल्ड ट्राइब्स कमीशन के अंदर भेजा, भूरिया जी उसके चेयरमैन थे। भूरिया जी ने चिट्ठी लिखी। अधिकारियों ने एश्योर किया और यह निर्देश निकाला कि शैड्यूल्ड कास्ट्स और शैड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों का प्रमोशन किया जाए। जो जनरल कैटेगरी के लोगों का प्रमोशन कर दिया गया है, उनको जगह इनका प्रमोशन कर दिया जाए। मैं यहां पर उन कमिशनर साहय का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन उस फाइल को तीन महीने तक दबाए रखा गया और उन जनरल कैटेगरी के इंस्पेक्टरों को कह दिया गया कि आप

कोर्ट में चले जाइए। वे लोग कोर्ट में चले गए, कोर्ट से उन्हें स्टे मिल गया। कोर्ट में बैठे हुए लोगों ने एक मिनट में स्टे दे दिया। इस प्रकार जो कुत्तराघात इनके ऊपर हो रहा है, उससे आप उनकी रक्षा तो करिए। आप सरकार में बैठे हैं, जुमले मत गाइए कि शेडयूल्ड कास्ट्स और शेडयूल्ड ट्राइब्ज के लिए हम यह करने जा रहे हैं। जुमले गाने से काम नहीं चलने वाला है, कुछ करके दिखाइए। अब वे तो रहे नहीं जो आंख मींचकर आपके पीछे-पीछे शेडयूल्ड कास्ट्स और शेडयूल्ड ट्राइब्ज के लोग घूमा करते थे। पचास साल में वे पढ़े-लिखे हो गए हैं, समझदार हो गए हैं, अपने अधिकारों के प्रति सचेत हो गए हैं। यह सरकार का कर्तव्य बन जाता है कि उनके लिए काम करे। पहले बैंकों के अंदर, कुछ पब्लिक सेक्टर्स के अंदर शेडयूल्ड कास्ट्स और शेडयूल्ड ट्राइब्ज के लोगों को रोजगार मिल जाया करता था। अब आपने बैंकों में भर्तियों को बंद कर दिया है, नयी नौकरियां बंद कर दी हैं, पब्लिक सेक्टर्स में विनिवेश की नीति ले आए हैं, पब्लिक सेक्टर्स का विनिवेश करते जा रहे हैं और अब उनके सामने यह समस्या पैदा हो गयी है कि रोजगार के लिए वे कहां जाएं? महोदय, यूपीए गवर्नमेंट ने जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाया है, उससे इस वर्ग के लोगों को आशाएं बंधी हैं और लोग ऐसा सोचने लगे हैं कि हमारा हित यूपीए गवर्नमेंट के हाथ में सुरक्षित है। लोगों का आपके ऊपर जो विश्वास है, उस विश्वास को पूरा करिए। जिस प्रकार से गरीबों का, मध्यम वर्ग के लोगों का आपने बजट चाहे रेल बजट हो या सामान्य बजट हो - दोनों से लोगों का विश्वास जीता है कि आप लोगों के लिए कुछ करने जा रहे हैं, उसी प्रकार से यह बजट सेशन हो रहा है इसमें आप प्राइवेट सेक्टर के अंदर शेडयूल्ड कास्ट्स और शेडयूल्ड ट्राइब्ज, अल्पसंख्यक, बेकवर्ड क्लास के लोगों के लिए रिजर्वेशन की पॉलिसी का बिल पास कराएं, संशोधन करें, बिल लाएं जिससे इन वर्गों के लोगों को रोजगार के संबंध में जो भय पैदा हो गया है कि जिन पब्लिक सेक्टर्स में हमें नौकरियां मिल जाया करती थीं अब प्राइवेटाइजेशन होने से हमें नौकरियां नहीं मिल पाएंगी, हम बेरोजगार हो जाएंगे, हमारा रोजगार छिन जाएगा।

इस बिल के आने के बाद उनके अधिकारों की रक्षा हो सकेगी। साथ ही प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन लागू करना बहुत मुश्किल और टेढ़ी बात है। इसके लिए आपको कमीशन को विशेष पावर देनी पड़ेगी - इसकी व्यवस्था पहले हो जाए। आप चाहे अधिकार दे दें, उससे काम चलने वाला नहीं है जब तक कि उसको लागू करने वाली कोई ऐजेंसी न हो, उसको देखने वाली कोई ऐजेंसी न हो कि किस सेक्टर में, किस शेडयूल्ड कास्ट एवं शेडयूल्ड ट्राइब का कोटा पूरा नहीं हुआ है? इसलिए कोई ऐसी कमेटी या कोई विशेष आयोग या कोई संगठन बनाया जाए जो निगाह रखे कि पब्लिक सेक्टर वाला शेडयूल्ड कास्ट एवं शेडयूल्ड ट्राइब के अधिकार के साथ कहीं गलत तो नहीं कर रहा है?

उपसभाध्यक्ष महोदय, गवई जी ने अपना संकल्प जिस भावना, जिस उद्देश्य के साथ प्रस्तुत किया है, मैं अपनी भावना उनके साथ जोड़ते हुए, इस संकल्प का समर्थन करता हूँ और

अपनी बात समाप्त करता हूँ।

श्री गांधी आजाद (उत्तर प्रदेश): उपसभाध्यक्ष महोदय, सर्वप्रथम इस संकल्प को लाने के लिए मैं अपनी तरफ से और अपनी पार्टी बहुजन समाज पार्टी की तरफ से श्री आर०एस०गवई साहेब को बधाई देता हूँ कि वे इतने महत्वपूर्ण प्रश्न को एक संकल्प के रूप में लाए हैं।

महोदय, मैं बहुत संक्षेप में, इस सदन के माध्यम से, आरक्षण के संक्षिप्त इतिहास को रखना चाहता हूँ। आरक्षण का जन्म कब हुआ और आरक्षण से क्या खोया और क्या पाया – इसको मैं संक्षेप में रखना चाहता हूँ क्योंकि देश की अवाम यह जानती है कि आरक्षण केवल भारतीय संविधान की देन है, लेकिन हमारा मानना है कि आरक्षण भारतीय संविधान से पहले भी था और आरक्षण मनुस्मृति के गर्भ से पैदा हुआ है। आरक्षण जब पैदा हुआ तो एक विशेष वर्ग के लोगों को पढ़ने-पढ़ाने का अधिकार, विशेष वर्ग को सुरक्षा का अधिकार, एक विशेष वर्ग को व्यापार का अधिकार और एक विशेष वर्ग को सेवा का अधिकार दिया गया। यह व्यवस्था लागू करके, हमारा मानना है कि मनुवाद का खून किया गया, इंसानियत का गला घोट गया और उसी समय की, आरक्षण की व्यवस्था में शूद्र समाज का निर्धारण किया गया था। उस शूद्र समाज की तो यहां तक व्यवस्था की गई थी कि शूद्र अगर ज्ञान की बात सुन ले तो उसके कान में सीसा पिघला कर डाल दिया जाए, शूद्र अगर ज्ञान की बात बोल दे तो उसकी ज़बान कटवा ली जाए और शूद्र यदि ज्ञान की बात याद कर ले तो उसका गला कटवाने तक की भी व्यवस्था रही। इस तरह से हजारों-हजार साल, इस मनु व्यवस्था के कारण, शूद्र समाज – जो कभी इस देश का शासक हुआ करता था, पद-दलित हो गया। वह गरीब हो गया है, लाचार हो गया है। वह पिछड़ा नहीं था, बल्कि व्यवस्था बनाकर उसको पिछड़ा गया। महोदय, जब बाबा साहेब डा० भीमराव अम्बेडकर का उदय होता है और भारत के संविधान के शिल्पकार बाबा साहेब डा० भीमराव अम्बेडकर यहां की सामाजिक व्यवस्था का अध्ययन करने के बाद जब इस नतीजे पर पहुंचे कि इस देश का एक वर्ग हजारों सालों से शिक्षा से वंचित रहा है, धन के अधिकार से वंचित रहा है तथा नाना प्रकार की बाधाओं को झेलने के कारण आज उसकी दशा दीन, हीन हो गई है। तब बाबा साहेब डा० अम्बेडकर ने संविधान में संवैधानिक व्यवस्था करके अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के लिए राजनैतिक आरक्षण और सरकारी नौकरियों में आरक्षण का प्रावधान किया।

महोदय, आजादी के बाद बाबा साहेब डा० अम्बेडकर ने एक सपना संजोया था यदि इस आरक्षण को सही ढंग से लागू कर दिया जाएगा तो हजारों साल से जो पिछड़ा हुआ समाज है वह चन्द दिनों में ही अन्य समाज की बराबरी में आ जाएगा। किन्तु मुझे खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि आरक्षण को लागू करने के लिए तथाकथित समय में अच्छे-अच्छे नियम तो अवश्य बनाए गए, लेकिन सत्ता के पोषकों की नीयत खराब होने के कारण आज तक किसी भी क्षेत्र में आरक्षण

पूरा नहीं हुआ है। हमें यह देखना है कि हमने आरक्षण के द्वारा क्या खोया और क्या पाया? जो बाबा साहेब डा० अम्बेडकर का आरक्षण था और जो मनु के विधान का आरक्षण था, दोनों में जमीन-आसमान का अंतर है। मनु के विधान के आरक्षण में मानवता के स्थान पर दानवता पैदा की गई, इंसानियत के स्थान पर हैवानियत पैदा की गई और भाई-चारे के स्थान पर कटुता और द्वेष पैदा किया गया। बाबा साहेब डा० अम्बेडकर ने जो भारतीय संविधान को संवैधानिक व्यवस्था देकर आरक्षण प्रदान किया था उससे मानवता को बढ़ावा मिला, इंसानियत को बढ़ावा मिला, और भाई-चारे को बढ़ावा मिला। लेकिन आज तक यह आरक्षण पूरा नहीं हुआ है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के वर्ग का आदमी एक चपरासी तक नहीं बन सकता था, कुली तक नहीं बन सकता था, लेकिन आज इस आरक्षण की बदौलत यह प्रथम श्रेणी की नौकरियों में हर तरफ दिखाई देता है या हर स्थान पर दिखाई देता है। आज हमारा मानना है कि बाबा साहेब डा० अम्बेडकर ने यह संवैधानिक आरक्षण दिया है, इसमें कभी कहा गया कि उनको एबल कंडिडेट्स नहीं मिल रहे हैं इसलिए आरक्षण-कोटा पूरा नहीं किया गया। हमारा निवेदन है कि जब हजारों सालों से लोगों के लिए शिक्षा के दरवाजे बन्द थे तो एबल कंडिडेट्स का सवाल कहां उठता है? हम बाबा साहेब डा० अम्बेडकर के आभारी हैं कि जब उन्होंने शिक्षा के दरवाजे खोले और जब पढ़-लिखकर इस शूद्र समाज का वर्ग एबल हुआ, योग्य हुआ तो प्रशासनिक अधिकारी लोगों ने “एबल, बट नॉट सूटेबल फॉर दि पोस्ट” कहकर दूसरा लैकूना लगाया। ऐसा कहकर भी आरक्षण को पूरा नहीं किया गया। लेकिन बाबा साहेब की बदौलत देश की हालत ऐसी हो गई है कि आज हर गली, हर गांव, हर शहर में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लोग एबल भी हैं और सुटेबल भी हैं। लेकिन आज नौकरी का दूसरा ही आलम हो गया है कि वह आज न एबल को मिल रही है और न सुटेबल को मिल रही है, आज नौकरी ट्रेसेबल हो गई है, खोजी जा रही है। आज नौकरी खोजने के दो तरीके हैं कि या तो सबसे बड़ा भैया या सबसे बड़ा रुपया। इसके अभाव के कारण हमारा मानना है कि आरक्षण कोटा पूरा नहीं हो पा रहा है। इसलिए मैं यह आरक्षण पूरा करने के लिए सरकार से निवेदन करना चाहता हूं अपील करना चाहता हूं कि विशेष अभियान चलाकर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आरक्षण को पूरा करने के लिए तत्काल कोई न कोई उपाय किया जाना चाहिए। इधर विगत वर्षों में हमारी जो एन्डो० सरकार रही, उसके द्वारा अंधाधुंध विनिवेश किया गया, निजीकरण को बढ़ावा दिया गया, साथ ही साथ वैश्वीकरण को बढ़ावा दिया गया। इसका भी एक कुप्रभाव हमारे आरक्षण पर पड़ा। इतना ही नहीं हमारे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोग हताश और निराश भी हो गए थे। लेकिन आज यूपी० की सरकार जो न्यूनतम साझा कार्यक्रम लेकर आई है, उससे इन वर्गों में कुछ आशा जगी है क्योंकि यूपी० की सरकार ने अन्य क्षेत्रों का आरक्षण पूरा करने के साथ ही साथ निजी क्षेत्रों में भी आरक्षण की बात स्वीकार की है। इसके लिए मैं यूपी० की सरकार को बधाई देना चाहता हूं कि इनमें कम से कम यह सोच तो पैदा हुई, निजी क्षेत्र में आरक्षण लागू करने का एक विचार

तो पैदा हुआ।

महोदय, हमारा मानना है कि निजी क्षेत्रों में प्रोत्साहन के लिए बहुत सारी सुविधाएं सरकार द्वारा मुहैया कराई जाती हैं। मेरा व्यक्तिगत विचार है कि निजी क्षेत्रों में भी आरक्षण सरकारी क्षेत्र की तरह लागू होना चाहिए। अखबारों के माध्यम से पढ़ने को मिल रहा है, हमारे कुछ साथी यह उजागर कर रहे हैं कि निजी क्षेत्र में आरक्षण की बढ़ती घटिया क्वालिटी हो जाएगी और क्वालिटी पर बुरा असर पड़ेगा। मेरा ऐसा मानना है कि अगर किसी साथी की ऐसी सोच है, तो यह उसकी घटिया मानसिकता और घटिया षडयंत्र के अलावा कुछ नहीं है।

हमारा मानना है कि गरीब परिवार के लोग बेगारी करते हैं। वे इसमें भी हाथ बिगाड़ने का काम नहीं करते हैं। अगर इस तरह की मानसिकता है कि अनुसूचित जाति-अनुसूचित जनजाति के लोग ऐसे वर्गों से आते हैं, इसलिए घटिया क्वालिटी पैदा की जाएगी, तो मेरी समझ में यह एक घटिया मानसिकता है, देश के विरुद्ध एक तरह की मानसिकता है। मैं इस सरकार से निवेदन करूंगा, अपील करता हूं कि अगर आप इस तरह का विचार लाए हैं, जिसका पूरे देश ने स्वागत किया है, तो इसे पूरा करने के लिए जल्द से जल्द अलग से एक विधेयक लाकर, सरकारी नौकरियों में आरक्षण पूरा किया जाए। स्पेशल वेकन्सीज निकालकर निजी क्षेत्रों में आरक्षण पूरा करने के लिए जल्द-से-जल्द विधेयक लाकर इनमें आरक्षण लागू करने के लिए कार्य किया जाय। इसी अपील के साथ मैं आशा ही नहीं भरोसा करता हूं कि यह यूपीए की सरकार जल्द ऐसा करेगी जिस के प्रति इस वर्ग के लोग बहुत आशान्वित हैं।

महोदय, इसी आशा और भरोसे के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। मैं समय देने के लिए आप के प्रति भी आभार प्रकट करता हूं। धन्यवाद।

डा० प्रभा ठाकुर (राजस्थान): धन्यवाद, उपसभाध्यक्ष जी। मैं श्री आरएस् गवई साहब को बधाई देना चाहूंगी जिन्होंने एक बहुत ही सामयिक और ज्वलंत विषय पर यह संकल्प चर्चा के लिए प्रस्तुत किया है। मैं उन के संकल्प के साथ अपना संकल्प जोड़ते हुए इसके समर्थन में बोलने के लिए खड़ी हुई हूं।

महोदय, गवई साहब का संकल्प है कि प्राइवेट सेक्टर में भी अनुसूचित जाति और ओबीसी के लोगों को सरकारी नौकरियों की भांति ही आरक्षण दिया जाना चाहिए और यूपीए की सरकार ने भी यह वायदा किया है, अपना संकल्प दिखाया है कि प्राइवेट नौकरियों में भी समाज के इन कमजोर वर्गों को, इन शोषित वर्ग के लोगों को सरकारी नौकरियों की भांति ही आरक्षण दिया जाएगा। अब जबकि यूपीए की सरकार बन गयी है, सरकार का यह प्रथम कर्तव्य होना चाहिए और इन वर्ग के लोगों ने ही उसे यह अवसर दिया है कि उसने अपने घोषणा पत्र में जो संकल्प और वायदा दिखाया है, उसे पूरा करे। यह सरकार उन वर्गों की तरफ देखे और

अपने वायदे को निभाए और जल्द-से-जल्द इससे संबंधित विधेयक लाकर अपने संकल्प को पूरा करे।

उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं तो यह कहना चाहूंगी कि न केवल यू०पी० सरकार के सदस्यों बल्कि समाज के तमाम वर्गों को इस संकल्प का साथ देना चाहिए बल्कि प्राइवेट सेक्टर से जुड़े लोगों को भी इस घोषणा का स्वागत करना चाहिए क्योंकि इस में कोई डर या भय की बात नहीं है। समाज के इस वर्ग ने सैकड़ों वर्षों तक भूखे रहकर, अपने आंसू पीकर, अपमान सहकर, बदहाल रहकर और सारे अभाव झेलकर जिस तरह से समाज की सेवा की है और आज समाज पर उनका इतना ऋण है कि आज लोकतंत्र के जमाने में उनका जितना ऋण चुकाया जाए, उतना ही कम है। उसके लिए लोकतंत्र से अधिक उपयुक्त व्यवस्था कब आएगी, जब समाज के इन शोषित वर्गों को पूरा सामाजिक न्याय मिल सकेगा? उन्हें कम-से-कम इतना अवसर तो मिल सके कि वे रोजगार के लिए भटकते न फिरे। महोदय, आज के इस दौर में मंहगाई की मार बहुत बढ़ गयी है। अब समाज के इन पिछड़े और कमजोर वर्ग के लोगों के भी अपने अरमान हैं, अपने सपने हैं। ये भी चाहते हैं कि कम-से-कम सिर पर एक छोटे से मकान की छत हो, इन्हें भी दो जून की रोटी चाहिए, ये भी अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिला सकें और अवसर आने पर उन्हें भी अच्छी चिकित्सा सुविधा मिल सके। महोदय, उन्हें ये मूलभूत अधिकार तभी मिल सकता है जब उन्हें रोजगार मिलेगा। तभी वे अपने सपनों को पूरा करने में सक्षम हो सकेंगे और उन्हें यह क्षमता देने की पहली जिम्मेदारी सरकार की है। महोदय, मैं यू०पी० सरकार को इस बात के लिए बधाई देना चाहता हूँ कि उसने समाज के इन अनुसूचित जाति, जन-जाति और पिछड़े वर्ग के लोगों को प्राथमिकता देने के लिए, उन को शक्ति देने के लिए उनको रोजगार देने के लिए, गरीबी रेखा से नीचे जीने वाले हर परिवार को कम से कम सौ दिन का रोजगार मिले यह सुनिश्चित करने के लिए, यह जो अपना संकल्प दिखाया है, आज इसे पूरा करने का समय आया है।

महोदय, इसी वर्ग, समाज में डा० बाबा साहेब अम्बेडकर जैसे विद्वान विधिवेत्ता हुए हैं, जिन्होंने संविधान रचा है, इसी वर्ग में बाल्मीकि जैसे विद्वान हुए हैं जिन्होंने अमर साहित्य की रचना की है। आज भी इस वर्ग के विभिन्न पदों पर, विभिन्न क्षेत्रों में बैठे व्यक्तियों ने अपनी प्रतिभा दिखाई है, जिन्हें आरक्षण मिलने पर अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिला है, अपना काम दिखाने का अवसर मिला है। इसलिए इस बात से किसी को डरने या घबराने की जरूरत नहीं होनी चाहिए कि क्वालिटी खराब हो जाएगी क्योंकि अवसर मिलने पर इसी वर्ग के लोगों ने क्वालिटी भी प्रमाणित की है। क्वालिटी में कहीं कोई कमी नहीं है, कमी है तो नीयत में है। यहां मैं यह बात जरूर कहना चाहूंगी कि कोई भी सरकार हो, सरकार की लोकशाही में जिम्मेदारी होती है कि जो कमजोर तबका है उसके लोगों का वह ख्याल रखे। अगर लोकतंत्र में कोई भी सरकार विकास की बात करती है तो वह विकास तभी संपूर्ण रूप से संभव हो सकता है, जब

समाज के गरीब, कमजोर, शोषित और पिछड़े वर्ग की ओर भी देखा जाए, उन्हें ताकतवर बनाया जाए क्योंकि अगर किसी गाड़ी का एक पहिया तो शक्तिशाली हो और वह हर तरह से संपन्न हो, लेकिन एक पहिया कमजोर हो तो वह विकास की गाड़ी नहीं चल सकती है। ऐसी विकास की गाड़ी पूरी रफ्तार से चलने में अक्षम होगी, अगर उसका एक पहिया ताकतवर हो और एक पहिया कमजोर हो। आज समाज के उस विराट पहिए को मजबूती देने की जरूरत है ताकि इस देश की, इस लोकतंत्र की विकास की गाड़ी पूरी ताकत और शक्ति के साथ आगे चल सके।

महोदय, आज तक किसी उद्योगपति की फैक्टरी में वह रूमाल नहीं बना, जो किसी गरीब आदमी के आंसू पोछ सके, लेकिन अब उनको यह अवसर मिला है इसलिए उन्हें यह सुनिश्चित करते हुए, यूपीए सरकार के फैसले का स्वागत करते हुए इसमें भागीदारी करनी चाहिए, इसमें अपना योगदान देना चाहिए। मैं समझती हूँ कि उन्हें इस घोषणा का, इस संकल्प का स्वागत करना चाहिए और समाज के शोषित, कमजोर, अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्ग के लोगों को आरक्षण देना चाहिए। अगर कुछ लोग कहते हैं कि इस घोषणा मात्र से सेन्सेक्स नीचे आ जाता है तो मैं कहना चाहूँगी कि अगर इन कमजोर वर्गों का जीवन-स्तर ऊँचा उठता है और इससे सेन्सेक्स अगर कुछ नीचे भी आ जाता है तो उससे इस देश की अर्थव्यवस्था पर कोई असर नहीं पड़ता।

महोदय, प्राइवेट सेक्टर क्या है? यह प्राइवेट सेक्टर आम पब्लिक के करोड़ों रुपए की पूंजी निवेश से फलता-फूलता है, उनके खून-पसीने की कमाई से यह फलता-फूलता है। इसलिए उनकी यह नैतिक जिम्मेदारी है और उनको यह चिंता भी होनी चाहिए कि वह समाज के कमजोर, दलित, पिछड़े वर्ग को आगे बढ़ने के अवसर दिलाने में मदद करे, उसमें अपना कुछ हिस्सा दे। आज प्राइवेट सेक्टर को तो अपनी पूंजी बढ़ाने के लिए, अपने कारोबार के लिए करोड़ों का लोन मिल जाता है और कई बार जब प्राइवेट सेक्टर के लोग अपने घाटे दिखा देते हैं या दिवाले निकाल देते हैं तो उनकी करोड़ों रुपए की राशि, जो इस देश की आम जनता की खून-पसीने की कमाई होती है, जो विभिन्न टैक्सों के रूप में आम जनता से ली जाती है, उस लोन के रूप में ली गई राशि को राइट-ऑफ कर दिया जाता है। मेरी समझ में नहीं आता कि आखिर क्यों इसको राइट-ऑफ कर दिया जाता है, जबकि एक गरीब आदमी, कमजोर आदमी, दलित और पिछड़े वर्ग का आदमी अगर अपनी कोई छोटी दुकान के लिए या अपनी खेती के लिए या अपना कोई छोटा रोजगार चलाने के लिए लोन लेता है तो उसे मिडिलमैन के बिना लोन नहीं मिलता। हजारों चक्कर काटते हैं, तब कहीं मिडिलमैन को संतुष्ट करके उन्हें लोन मिलता है और फिर अगर उनका रोजगार नहीं चल पाता, कृषि नहीं चल पाती, आमदनी नहीं होती, तो क्या होता है? उनका लोन राइट-ऑफ नहीं किया जाता बल्कि उन्हें अपना घर-बार जमीन-जायदाद, जो कुछ भी है, उसे बेचकर या तो लोन चुकाना पड़ता है या आत्महत्या करके जान गंवानी पड़ती है। उनके लिए यह स्थिति है। तो

यह दोहरी व्यवस्था, ये दोहरे मापदंड कम से कम इस सरकार में, जो कि कांग्रेस के नेतृत्व वाली यू०पी०ए० गठबंधन की सरकार बनी है, मुझे नहीं लगता कि इस सरकार में इस तरह के दोहरे मापदंड की कहीं कोई गुंजाइश या संभावना रहेगी।

महोदय, आजकल रोजगार का जो हाल है और बेरोजगारी का जो आलम है, भीषणता है, उससे सभी परिचित हैं। आज देश की सर्वाधिक ज्वलंत समस्या, पानी के अलावा, अगर कोई है, तो वह बेरोजगारी है। बेरोजगार नौजवान, ग्रेजुएट तो कितने ही भटकते हुए नजर आएंगे, पढ़ाई-लिखाई करने का बाद भी, शिक्षा पूरी करने के बाद भी उन्हें रोजगार नहीं मिलता है। गरीबी रेखा से नीचे जो भी वर्ग हैं या जो भी लोग आते हैं, उनमें आज भी अधिकांश अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्ग के लोग आते हैं, उन्हीं की तादाद सबसे अधिक होती है। पिछली सरकार के समय अनेक जनोपयोगी उपक्रमों का कोड़ियों के मोल विनिवेश हो जाने से भी रोजगार कम हुआ है, बेकारी बढ़ी है और इस बेकारी की मार इस समुदाय और समाज के इन कमजोर वर्गों को ही अधिक झेलनी पड़ी है। पिछला बैंक लॉग नौकरियों का भरा नहीं गया, नौकरियों के कई स्थान रिक्त पड़े हैं, उनमें भर्ती नहीं की गई और अनेक राज्यों में नौकरियों पर रोक लगा दी गई, नई नौकरियों के नए अवसर सृजित नहीं किए गए। ऐसी स्थिति में, जबकि रोजगार की एक भीषण और विकट समस्या पैदा हो गई है, तब देश की हर सरकार और हर नागरिक का यह कर्तव्य है कि वह इस पर विचार करे कि जो रोजगार से वंचित समाज के कमजोर तबके हैं, उनको किस प्रकार प्राथमिकता दी जाए, किस प्रकार रोजगार का, नौकरियों का सृजन किया जाए, चाहे वे सरकारी महकमों में हों या प्राइवेट सैक्टर में हों। इसे देखना भी सरकार की नैतिक जिम्मेदारी है। इसलिए मैं यह कहना चाहूंगी कि ऐसा बिल आना चाहिए, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए और इस व्यवस्था से किसी को कहीं कोई घबराहट या चिंता नहीं होनी चाहिए कि अगर आरक्षण होगा, तो क्या होगा। जब सरकारी नौकरियों में आरक्षण किया गया है दलितों के लिए, कमजोरों के लिए, पिछड़ों के लिए और जब सरकारी व्यवस्था सुचारू रूप से चल रही है तो प्राइवेट सैक्टर को इसमें कहीं घबराने की या चिंता करने की कोई बात मुझे नजर नहीं आती।

महोदय, महात्मा गांधी ने समाज के इन कमजोर वर्गों के उत्थान करने का संकल्प लिया था, उन्हें गले लगाया, उन्हें अधिकार देने की बात की, उन्हें समाजिक समानता देने की बात की। आज भी उनके भजन को बड़े प्रेम से लोग गाते हैं:-

वैष्णव जन तो तैने कहिए, जे पीड़ पराई जाने रे

पर दुख पे उपकार करे, मन अभिमान न आने दे।

उन्हीं महात्मा गांधी जी की परम्परा को आगे बढ़ाते हुए आजादी के बाद पंडित जवाहर लाल नेहरू के प्रधानमंत्रित्व काल की यह देन रही कि उनके समय में समाज के कमजोर वर्गों

के लिए, दलित-पिछड़े तबके के जो लोग थे - अनुसूचित जाति, जनजाति के, उनके उत्थान और कल्याण का न केवल विचार किया गया, बल्कि उनके उत्थान और कल्याण को प्राथमिकता देने के लिए ऐसे संविधान की संरचना हुई, जिसमें उनको आरक्षण मिला, नौकरियों में उनको अधिकार मिला और उन्हें शक्तिशाली बनाने की एक ठोस क्रियान्विति हुई। बाद में इंदिरा जी ने भी उसी नारे को आगे बढ़ाया - कांग्रेस का हाथ, गरीब के साथ। आज पूरी दुनिया के लोग चकित रह जाते हैं कि नेहरू गांधी परिवार में ऐसी क्या बात है और उन्हीं के वंश के हर व्यक्ति के प्रति भारत के लोगों की इतनी आस्था क्यों है। उसके पीछे, महोदय, यही भावना है क्योंकि उस परिवार ने हमेशा समाज के कमजोर वर्गों के, पिछड़े वर्गों के, मजदूर वर्गों के, दलितों वर्गों के हितों की केवल बात ही नहीं की, बल्कि उनको हित दिए भी हैं उनका हित देखकर उनको लाभ देने की क्रियान्विति की है।

उन्होंने उनके उत्थान में बराबरी का योगदान दिया है। इसलिए आज पूरे देश का जो कमजोर वर्ग है, जो पिछड़ा हुआ वर्ग है, उसकी आस्था और विश्वास, उस नेहरू-गांधी परिवार में बना। यह आस्था और विश्वास कोई एक-दो दिनों में नहीं बन गया। यह पीढ़ियों से संचित होता चला आया है और जनता, जिसे हम जनार्दन कहते हैं, जो जनार्दन का रूप है, जो फैसला करती है, उसका फैसला यूँ ही नहीं होता। आज जब जनता ने देखा कि ये वही सोनिया गांधी हैं, तो उनके मन में एक विश्वास पैदा हुआ। देश के कमजोर तबके में विश्वास पैदा हुआ कि इनसे पहले जो राजीव जी, इंदिरा जी, पंडित नेहरू, महात्मा गांधी, इनकी जो परंपरा चली आ रही है, कमजोर वर्गों को प्राथमिकता देने की, उनके विकास और उत्थान को प्राथमिकता देने की, वह इनके समय में भी कायम रहेगी। यह विश्वास सोनिया जी के आने से, उनमें फिर से जागा और इसलिए इस बार सबके सहयोग से तथा सबके विश्वास के कारण यह सरकार बनी है। इसलिए भी इस सरकार का यह पहला कर्तव्य है कि वह अपने उस वायदे को निभाए और समाज के इन कमजोर वर्गों को ताकत देने के लिए अपनी भूमिका पूरी तरह से निभाए।

महोदय, आज भी इनके घरों में कोई बहुत खुशहाली नहीं आ गई है। ये लोग जो घोर बदहाली में जी रहे थे, उससे कहीं-कहीं कुछ लोग बाहर निकले हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि वे सब सुविधा-संपन्न हो गए हैं। आज भी पूरे देश में करोड़ों ऐसे लोग हैं, जो भयानक अभावों में जी रहे हैं। किसी भी आजाद देश के लिए और लोकतंत्र के लिए, इससे बड़ी चिंता की और क्या बात हो सकती है कि आज भी इस देश के कई वर्गों के लोग, सुविधाएं तो छोड़िए, बल्कि जरूरत पड़ने पर अपनी चिकित्सा तक नहीं करा सकते। उस मां के दिल पर क्या बीतती होगी, उस परिवार के दिल पर क्या बीतती होगी, जब वह अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा नहीं दिला सकता, यदि कोई बीमार हो जाए तो उसकी अच्छी चिकित्सा नहीं करा सकता। आज भी वे एक वक्त चटनी-रोटी खाकर अपनी आजीविका चलाते हैं। इन परिवारों में आज भी महिलाएं दोहरा काम

करके, घर-गृहस्थी का काम भी संभालती हैं, मेहनत-मज़दूरी भी करती हैं। कहीं वे कल-कारखानों में काम करती हैं, कहीं और मज़दूरी करती हैं, खेत-खलिहानों में मज़दूरी करती हैं और किसी तरह अपना गुज़ारा चलाती हैं तो आज उन लोगों का जीवन-स्तर अच्छा बने, उनका जीवन-स्तर ऊंचा हो, उनको रोज़गार मिले, इसकी जिम्मेदारी सरकार की भी है और उनकी भी है, जो प्राइवेट सैक्टर को चला रहे हैं। उनको भी इसमें पूरी भागीदारी निभानी चाहिए।

महोदय, पिछली सरकार के समय में, दिल्ली में, जैसी मुझे जानकारी मिली है कि केन्द्र द्वारा आदिवासियों का आरक्षण बंद कर दिया गया था। यह उनके साथ अन्याय है। मैं सदन में यह कहना चाहूंगी कि यहां नया बिल लाकर, नया विधयेक पास करके, आदिवासियों के उस आरक्षण को फिर से वापस लागू किया जाना चाहिए। मैं यह कहना चाहूंगी कि जब तक देश का कमजोर तबका खुशहाल नहीं होगा, यह अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ओ.बी.सी. का वर्ग, जो सदियों से उपेक्षित रहा, जो सदियों से शोषित रहा, जब तक यह खुशहाल नहीं होगा, तब तक देश की संपूर्ण खुशहाली का सपना कभी पूरा नहीं हो सकता, वह अधूरा ही रहेगा। मैं यह कहना चाहूंगी कि देश में अगर समाज के ये कमजोर वर्ग गरीब हैं, तो समझिए कि सारा देश गरीब है।

महोदय, अंत में मैं यह कहूंगी कि पूरे देश ने यह देखा है कि रेल बजट के माध्यम से और आम बजट के माध्यम से यू.पी.ए. सरकार ने अपने उस संकल्प को दिखाया है कि उसकी चिंता समाज के कमजोर वर्गों को रोज़गार देने की है, दलितों को, पिछड़ों को रोज़गार देने की है इस संकल्प को उन्होंने रेल बजट के माध्यम से भी बताया है और आम बजट के माध्यम से भी 100 दिनों के रोजगार की बात कही गई है।

अब तो हम सभी यह उम्मीद करते हैं कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के भाई-बहनों को, पिछड़े वर्ग के भाई-बहनों को, समाज के इन कमजोर वर्गों को न्याय मिले। जो लोग नौकरियों के लिए दर-दर भटक रहे हैं, उनके लिए अब यह भटकाव बंद होना चाहिए। सरकारी नौकरियों की भांति प्राइवेट संस्थाओं में, प्राइवेट सैक्टर में, उसी अनुपात में इन वर्गों के लोगों को नौकरियों में आरक्षण मिले जिस अनुपात में उन्हें सरकारी नौकरियों में मिल रहा है, ताकि कमजोर वर्ग के लोग बेरोजगार के इस भयानक कुएं से, भयानक मार से बाहर निकल सकें। बहुत-बहुत धन्यवाद।

SHRI A. VIJAYARAGHAVAN (Kerala): Mr. Vice-Chairman, Sir, I would like to support the Resolution moved by my hon. Friend, Shri R.S. Gavai, to extend the reservation for the Scheduled Castes, and the Scheduled Tribes and OBCs in the private sector. Sir, I do not want to explain in detail about the plight of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes in the country. Even after five decades of

Independence, this section is socially and economically vulnerable in our society. Even though, through our Five Year Plans, we have achieved self-sufficiency in foodgrains, it was reported in newspapers that starvation deaths are the order of the day in the hamlets of Scheduled Tribes. In this august House and also in Lok Sabha, we have discussed in detail about this situation. Whenever there is a drought, there are serious problems in tribal areas.

Secondly, Sir, when we started this process of liberalisation, whatever may be the glory which we are emphasising and projecting, the reality is that it is going against the livelihood of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes. Whatever employment avenues were opened for them have been closed. The main area of employment was the Government service, and even now it is the Government service. What was the approach of successive Governments with regard to employment? It was totally negated. There was a ban on employment in the Government service. There was a ban on employment in Railways. There was a ban on employment in banking service. Naturally, there is no avenue for the backward class people. There is no recruitment or employment in areas where they are getting some reservation. So, they are not getting the work. Whatever has been mentioned here, the thrust was to privatise the public sector units. Naturally, they were losing their area of reservation. Rural areas were providing employment to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes in agriculture. After liberalisation, for the first time in India's history, the rural unemployment began to increase. Even agriculture does not provide employment to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes. It was reported that migration was increasing and millions and millions of Scheduled Castes and Scheduled Tribes people were leaving their place of birth and going to cities. Are they getting any legal support? Is there any legislation to provide them any assistance? There is neither legislation nor Government's support. They are leaving their workplaces and roaming all over India. Is the Government opening its eyes towards the problems of poor men? That is not happening, Sir. These are the areas that we have to take note of. Similarly, on the question of land reforms, when we have started this liberalisation process, we have closed that chapter of land reforms-taking surplus land and giving that surplus land to the agricultural landless labourers and particularly to the landless Scheduled

Castes and Scheduled Tribes. They are not getting land. You just go through the details of distribution of land in the last 20 years. Are they getting land? No land for the Scheduled Tribes and Scheduled Castes. Now, after the Supreme Court's verdict, what is the condition of the Scheduled Tribe people? Their right to forest land is under question. Something should be done. When we are discussing about this reservation, I would like to draw your kind attention towards this important aspect. Secondly, Sir, if we talk about the employment generation programmes for the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes, are they being implemented properly? Sir, it is a total failure. Employment generation programmes never helped them to get sufficient employment. Now, we are discussing about the 100 days' work. Are we going to implement it immediately, or, will it be dragged, or, will it be kept in the list of promises? This is also an important issue. Here, even in the employment generation programme, our Scheduled Caste and Scheduled Tribe people are not getting the announced minimum wages. When starvation deaths were reported in tribal areas in Maharashtra last week, and we were discussing this matter in details, it was reported that the Government authorities visited the place and handed over Rs. 20. Then, there was a question: why are you giving Rs. 20 per day? They told, "This is their wage per day." Is it sufficient-Rs. 20 per day? And, the Government authorities are providing it. The Government has a responsibility to implement the announced minimum wages, at least, in the Government sponsored employment generation programmes. There, the Government has to be very careful. Then, I would like to bring to the notice of the House, how these employment generation programmes are being implemented in the rural areas, nowadays, for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes. These are being implemented through contractors. It is the employment generation programme for Scheduled Castes and Scheduled Tribes. Then, in programmes like road construction, digging a well or digging a lake, the contractor is coming forward, using all his sophisticated machines and not providing employment to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes. This is also there. So, the Government has to take care of these important issues. In its CMP, the Government has talked about reversal of earlier decision of land reforms. The Government is going to stop land reforms process. Government should appoint a Land Commissioner to look after how the land reforms can be implemented. There are so many land reform Acts

in the States which have not been properly implemented. I don't ask for a radical land reform process throughout the country. My only request is to implement whatever land reforms, that have been there, in respective States. If you go through these land reforms and implement them, naturally, the landless agricultural workers, the landless Scheduled Caste and Scheduled Tribe people will get land. If the Government provides them some assistance through the Panchayati Raj system, they will eke out their livelihood and will not migrate to the cities. That aspect should be taken note of. And, this 100 days' employment generation programme should be implemented properly and the Government should expedite this process. Then, in order to provide more employment, whatever employment ban is there, the Government has to lift that ban and start recruitment, at least, for the unemployed people. Naturally, that will benefit the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes. Then, in the privatised public sector-disinvested public sector undertakings- we have to urgently start the process of reservation. Then, we have to go ahead with the reservation in the private sector also. There also, the Scheduled Caste and the Scheduled Tribe people have every right of reservation. What I am saying is that these private sector enterprises are functioning with the public money. The money is coming from the public, that is financial institutions. Naturally, there is a right. This is not something being done by the big business people; this is not a charity by the rich people for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes. This is a right.

Sir, what about NPAs. What is the amount? It is in lakhs and lakhs of rupees. With whom is it pending? It is pending with the rich people who have taken lakhs and lakhs, crores and crores of rupees from banks and other financial institutions. They have grabbed the money, and, are not giving it back. We lose lakhs of crores of rupees through NPAs. If we could provide 10 per cent of that money for giving employment to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes, then, it would be more beneficial for them. This is the right of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes.

There should be a stipulation in the law that if these big business people need more money from these financial institutions, they have to provide employment, at least, to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes. So that kind of stipulation should be there in the law. Accordingly, the law of the land should be amended. The Constitution should also be amended. So, these are some of my views, which I wanted to put before

the House. Once again, I express my gratitude to Shri R.S. Gavai for bringing forward this Resolution, and I hope the new Government, unlike the previous Government, would give some attention to this problem, and, come up with some solution. Thank you.

श्रीमती जमना देवी बारुपाल (राजस्थान): आदरणीय उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से श्री आरुण गवई जी के इस संकल्प का समर्थन करते हुए सरकार से आग्रह करती हूँ कि संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी ने स्पष्ट शब्दों में कहा था कि आदि-काल से जिन्हें अछूत, अशिक्षित, हीन और कमजोर माना गया है, उनकी हालत पर रहम खाकर नहीं, बल्कि अधिकारों के तहत, उनकी दशा में सुधार लाना व बराबरी की सीमा सुनिश्चित करना, उन्हें राष्ट्र की आज़ादी का पूरा-पूरा लाभ दिलाने के लिए आरक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए और उन्होंने वह व्यवस्था की, लेकिन आज सरकारी नौकरियों के क्षेत्र में नौकरी मिलना असंभव सी बात हो गई है। आज एम्प्लू, बीएल पास लड़के नौकरी की तलाश में घूमते-घूमते अर्द्ध-विक्षिप्त से हो जाते हैं लेकिन उनको नौकरी नहीं मिलती है। माता-पिता अपना पेट काटकर बच्चों को उच्च शिक्षा दिलाते हैं। उनके घर में दो वक्त सब्जी नहीं बनती, रोटी नहीं बनती, जैसा अभी प्रभा जी ने बताया, लेकिन फिर भी उनकी आकांक्षाएं इतनी ऊंची होती हैं कि हमारे बच्चे भी दूसरों के बच्चों के बराबर उच्च शिक्षा ग्रहण कर लें, लेकिन नौकरी नहीं मिलती। इसलिए अनुसूचित जाति, जनजाति के वर्गों को बराबरी का दर्जा देने हेतु तथा आर्थिकीरूप से उन्हें सबल बनाने हेतु कुछ किया जाए ताकि वे लोग राजनीतिक आरक्षण का भी लाभ ले सकें, अन्यथा धनाभाव के कारण यह लाभ भी उन्हें नहीं मिल सकेगा। हमारी सरकार ने यह भी सोच रखा है और न्यूनतम प्रोग्राम भी बना रखा है, लेकिन इस प्रोग्राम को जब तक कानून का दर्जा नहीं मिलेगा, संविधान के अंदर इसको बांधा नहीं जाएगा, तब तक यह प्रोग्राम भी नामुमकिन सा ही रह जाएगा। आए-दिन देखने में आता है कि अनुसूचित जाति के वर्ग के लोगों को आरक्षण में मिलने वाले लाभ भी पूरे नहीं मिल पाते हैं। इसलिए अनुसूचित जाति, जनजाति वर्ग के हितों की रक्षा के लिए जितने भी निजी क्षेत्र हैं, चाहे वे बैंकों में हैं, चाहे वे कंपनियों में हैं, चाहे और कोई उद्योग-धंधे हैं, उनमें उनको आरक्षण देना चाहिए और आरक्षण के तहत उनको नौकरियां मिलनी चाहिए। निजीकरण तथा नए पदों का सृजन करते हुए, चाहे वे केंद्रीय सरकार में हों, चाहे वे राज्य सरकार में हों, उनको नौकरियां देनी चाहिए। भारतवर्ष में जितने भी रिक्त पद हैं, उनका बैकलॉग पूरा किया जाना चाहिए और उनको भरा जाना चाहिए। मुझे याद है जब मैं नई-नई आई थी तो मैंने एक अखबार में न्यूज पढ़ी थी जिसमें यह लिखा था कि विश्वविद्यालयों में लेक्चररों के 75000 पद रिक्त पड़े हैं और दस हजार पद कॉलेजों में रिक्त पड़े हैं। लेकिन यह कार्य भी पहली सरकार ने पूरा नहीं किया। हमने बहुत आग्रह किया मगर आग्रह का कुछ भी असर नहीं हुआ। अगर हम इस कार्य को दृढ़-निश्चय से लागू नहीं करेंगे तो यह लक्ष्य पूरा नहीं होगा। प्राइवेट सेक्टर में भी

आपको इस वर्ग के लिए शक्ति से और कानून के जरिए, संविधान के जरिए रक्षा करनी पड़ेगी। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति हमारा अभिन्न अंग हैं। जिस प्रकार हमारे शरीर का अंग चाहे एक्सटेंड्स से या भयंकर बीमारी से अपंग हो जाता है और यदि हम अपने सम्पूर्ण शरीर की रक्षा नहीं करते हैं तो वह दिन दूर नहीं कि चाहे कैंसर की बीमारी या दूसरी भयंकर बीमारी एड्स है, वह हो सकती है। इसी प्रकार हमारा देश इन भयंकर बीमारियों से ग्रस्त हो जाएगा। आज समय की पुकार है और गरीबों के दिलों की आवाज है, वे करवट बदल-बदल कर और नाक नीचा कर-कर के कह रहे हैं कि प्रभु, हमारा भी उद्धार करो। हे राज करने वाले लोगों, हम भी आपकी तरह ही सेवक हैं। हमारी तरफ भी कुछ ध्यान दो। हम आपको वोट देकर और जिताकर यहां भेजते हैं, कम से कम हमारे लिए रोजी, रोटी और कपड़े की तो व्यवस्था करो। इसलिए मेरा सदन से ओर आपके माध्यम से सरकार से नम्र आग्रह है और मेरी आत्मा की आवाज है कि इस वर्ग को अगर कहीं बराबर का दर्जा मिलता है, भाई-चारे का दर्जा मिलता है तो आप लोगों को कुछ न कुछ परिवर्तन करना ही पड़ेगा। हम संविधान में बदलाव लाएंगे तब जाकर इनके लिए रोजी-रोटी का प्रबंध हो सकेगा। संविधान का तो मूल मंत्र यही है, बाबा साहेब ने कहा था कि हम इन गरीबों को रोजी-रोटी देंगे। आजादी से पूर्व इन गरीबों ने भी सिसकते और रगड़ते इस कांग्रेस पार्टी का साथ दिया था। मुझे थोड़ा-थोड़ा याद है कि बहुत संघर्ष करना पड़ता था, सामंतिव्यों के सामने खाइयों और जेलों में कीड़े-मकौड़ों की जिंदगी जीनी पड़ती थी। मेरा आग्रह यही है कि आप इन लोगों को ऊपर उठाएं। इनकी दयनीय दशा के बारे में कुछ सोचेंगे तो आने वाला टाइम बहुत ही अच्छा होगा। आज कांग्रेस की देन यही है। आज नेहरू परिवार से अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ा वर्ग जितना जुड़ा हुआ है, मैं दावे के साथ कहती हूँ कि इतना दूसरों के साथ नहीं है। ये इस परिवार के साथ फेविकोल की तरह चिपके हुए हैं। क्योंकि गरीब, शोषित और असहाय महिलाएं यह सोचती हैं कि यह सोनिया का प्यार ही है जो हमारा मांगदर्शन करेगा। यही हमें राह दिखा सकते हैं। इसलिए मैं अधिक कुछ नहीं कहते हुए इतना ही कहूंगी कि मुझ से पूर्व गवई जी, आदरणीय प्रभा ठाकुर जी, मूल मंत्र भीष्मा जी ने और बहुत से अन्य सांसदों ने अपनी अंतर आवाज को बड़े मार्मिक शब्दों में प्रकट किया, यह बहुत है। इसलिए अंत में परम सम्माननीय महिलाओं की सरताज सोनिया मांजी और आदरणीय प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह जी का हार्दिक आभार व्यक्त करते हुए धन्यवाद देना चाहूंगी कि उन्होंने मूलतः साक्षा प्रोग्राम में अनुसूचित जाति-अनुसूचित जनजाति के लोगों के हितों के लिए ऐजेंडा रखा है। इसलिए इतना ही कहना चाहूंगी कि आदि काल से जो गरीब और शोषित हैं, उनकी तरफ ध्यान दें। उनकी आवाज है कि,

“अब तो पैया बहुत हो चुका, यूं तो हमें तरसाओ मत।

हम नहीं कहते हार बना लो, गले का हार बनाओ मत।।

लेकिन मानव हम को समझते, हमें आखों से दूर हटाओ मत।

इसलिए इस अभिन्न अंग को महेनजर रखते हुए इनके अधिकारों की रक्षा करते हुए इसे लागू कीजिए। अगर आप चक्की भर देंगे तो आपको वे पचहत्तर पैसे सेवा के रूप में लौटाएंगे। इसे कानून की कड़ियों में जकड़ते हुए लागू किया जाए और इनके बैकलॉग्स फटाफट भरे जाएं। मैंने अभी कहा कि यह आरक्षण चाहे प्राइवेट कंपनीज में हो, बैंक्स में हो या अन्य किसी प्राइवेट सर्विसेज में हों, वहां इन दलितों को आरक्षण दिया जाए। आज मेरे नेता, श्री सुरेश जी ने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं सारे सदन, अध्यक्ष महोदय और अधिकारियों को हार्दिक धन्यवाद देती हूं और निवेदन करती हूं कि आप इस बिल को लाकर, उस तबके को राहत पहुंचाएं।

श्री वीर सिंह (उत्तर प्रदेश): उपसभाध्यक्ष जी, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए धन्यवाद। भारतीय संविधान में डॉ॰ भीमराव अम्बेडकर द्वारा आरक्षण की जो व्यवस्था की गई है, उसका सरकारी नौकरियों में अभी तक पूरा लाभ अनुसूचित-जाति, अनुसूचित-जनजाति को नहीं मिला है। नियम चाहे कितने ही अच्छे से अच्छे बनें, परंतु जब तक उन नियमों को लागू करने वालों की नीयत साफ नहीं होगी, तब तक उसका फायदा अनुसूचित जाति-अनुसूचित जनजाति के लोगों को नहीं पहुंच पाएगा। चाहे प्रदेश सरकार हो, चाहे केंद्रीय सरकार हो, सभी सरकारें नियम तो बहुत अच्छे-अच्छे बनाती हैं, किंतु प्रशासनिक अधिकारियों की संकुचित विचारधारा के कारण उस आरक्षण का फायदा अनुसूचित जाति-अनुसूचित जनजाति के लोगों को नहीं मिल पाता है। आज तक किसी भी क्षेत्र में सरकारी नौकरियों में बैकलॉग पूरा नहीं हो पाया है। जितना लाभ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति को मिलना चाहिए, वह अभी तक नहीं मिल पाया है। जो लाभ पहुंचना चाहिए था, वह नहीं पहुंच पाया है, इसीलिए आज सामाजिक गैरबराबरी भी बरकरार है। मैं यू०पी० सरकार से अपील करता हूं कि एक विशेष अभियान चलाकर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लोगों का आरक्षण कोटा पूरा किया जाए। विगत कुछ वर्षों से नई भर्तियों पर रोक के कारण तथा पिछली सरकार द्वारा विनिवेश को बढ़ावा देने के कारण अनुसूचित-जाति, अनुसूचित-जनजाति कर्मचारियों और लोगों पर कुप्रभाव पड़ा है। पिछली सरकार द्वारा निजीकरण को बढ़ावा देने के कारण आरक्षित वर्ग के लोग प्रभावित हुए हैं। मेरा मानना है कि देश के सभी क्षेत्रों में चाहे वह सार्वजनिक क्षेत्र हो, चाहे निजी क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में आरक्षण व्यवस्था पूरी होनी चाहिए, क्योंकि आरक्षण नौकरी का ही मामला नहीं है, एक भागीदारी का मामला भी है। मैं यू०पी० सरकार को बधाई देना चाहता हूं कि निजी क्षेत्र में भी आरक्षण देने का विचार लाई है। मैं यू०पी० सरकार से निवेदन करता हूं कि जल्द से जल्द एक विधेयक लाकर निजी क्षेत्र में भी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण व्यवस्था को लागू किया जाए।

हमारा तो यहां तक मानना है कि अगर यह यू०पी०ए० सरकार अपनी प्रगतिशीलता को प्रदर्शित करना चाहती है तो "जिस की जितनी संख्या, उतनी उस की भागीदारी" के हिसाब से उसे आरक्षण पूरा करना चाहिए, भागीदारी देनी चाहिए।

उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं आदरणीय श्री आर०एस० गवई जी को यह संकल्प लाने के लिए बधाई देता हूं और यह निवेदन करता हूं कि हर क्षेत्र में चाहे प्राइवेट सेक्टर हो या चाहे सरकारी नौकरियों का मामला हो, उन में आज तक जो वर्ग उपेक्षित रहा है, उन को लाभ नहीं पहुंचा है। इसलिए यह लाभ उन्हें यथा-शीघ्र पहुंचना चाहिए। ऐसा कर के उन्हें वर्तमान सरकार की मंशा को पूरा करना चाहिए। वर्तमान सरकार की यह मंशा तभी पूरी होगी जब उन गरीबों को जिन्हें आज तक आरक्षण का फायदा नहीं पहुंचा है, सामाजिक स्तर पर बढ़ावा दिया जाएगा। मैं चाहूंगा कि सरकार के द्वारा यहां से जो व्यवस्था की जाए, वह उन तक पहुंचाई जाए तभी इस देश में रहने वाले गरीब मजदूरों को फायदा पहुंचेगा और तभी देश तरक्की कर पाएगा।

DR. RADHAKANT NAYAK (Orissa) : Mr. Vice-Chairman, Sir, I thank you for the opportunity you have given me to say a few words on this Resolution. First of all, I thank the hon. Member, R. S. Gavaiji, for having initiated this Resoulution. It is a great event in the history of this country that the UPA Government has initiated such a move for the people of this country. Despite the fact that the UPA has resolved that a national dialogue should be initiated, even then, it is a very concrete step that this Government has undertaken, and, therefore, the UPA Government, especially the Congress Party, as well as all the other Alliance parties, they all need to be congratulated on such a giant step.

Mr. Vice-Chairman, Sir, I don't intend to take a lot of time on this, but maybe, one or two points I propose to highlight. First of all, in today's world, affirmative action or reservation in posts, services and other resources is not a new idea. It has been reported in some of our judicial pronouncements by the Supreme Court. I remember a case in West Bengal, where a fishery ghat was auctioned, and the Supreme Court has come out in clear terms that the principles of reservation should also extend in sharing of resources. There are other pronouncements as well. These are not limited to vacancies in posts and services only, but they extend to many other aspects of economic and social resources. We have also some policy prescriptions with regard to resource redistribution. They were attempted during Mrs. Gandhi's time. I remember, if I am not mistaker, it is the year 1970 or 1971 when the

Government of India had issued a circular to all the State Governments, indicating how at least 15 per cent of the water resources have to be reserved upstream for people who live above certain Rights of reservoirs or dams that are to be constructed. Of course, some of these decisions have been more or less forgotten. Nevertheless, reservation in terms of resource allocations even in the case of natural resources also prevalent in the country. And, therefore, in the present scenario we have been encouraging it, or we have adopted a policy of market development or the market approach to development. When that has been, more or less, the approach and the policy of this country, It is only an extension that his Resolution calls for. In the regard the principle of affirmative action, as has been adopted in the United States, in Canada, in South Africa, etc., is a pointer to what extent we can go. This principle not only blends the social objectives with economic principles or commercial principles, but also speaks of and/or reflect social change which we have introduced in the country and which has to be continued in this country.

Mr. Vice-Chairman, Sir, you are aware as to how caste and capital have moved together in this country. The rigours of the working of the caste system, a variant of "racism" of other countries (of course, the word "race" is finds mention in our Constitution)- will have to be mitigated in terms of resources redistribution. We have been speaking of social justice and resource redistribution. It has also been adopted as a policy. The Congress Government itself had taken the initiative during the last several years in this regard. It has to be continued now in a more vigorous and radical way. That can happen only when we extend the policy of reservation to the private sector. Many issues are being thrown up in this context. Even internationally we have been speaking of "Rights approach" to development. Therefore, every Dalit, every Tribal and every Backward Class member has got a right to have a share in the total cake, that is, the national asset. In fact, while adopting the reservation policy or introducing reservation in the private sector, we are only adopting, more or less, the international averments that have been made by the United Nations. There is nothing new in it. But, at the same time, it will be new for this country. Our mindset, our traditional working system, or caste system and many other institutions that we have in the past need to be re-looked.

[16 July, 2004]

RAJYA SABHA

Mr. Vice-Chairman, Sir, I have just one or two points to make. There is cry from the private sector that merit and efficiency will be given a go-by. It is not true at all. The time has come now that we have to redefine merit and efficiency. The question is whether merit should be a close preserve or a monopoly of the few or whether merit should also be redistributed. Therefore, the concept of merit and the practice of merit rating will have to be looked afresh, not only from the sociological point of view but also from the intellectual and political point of view. For the first time, the UPA Government has shown a political will in this respect. This aspect has to be very seriously considered in order to introduce this policy of reservation in the private sector.

Many apprehensions have also been expressed. One is about legal hurdles. People speak of legal hurdles. Some say that the Constitution may have to be amended and others say simply an Executive direction will do. We could attempt either or both. For example, under Article 12 of the Indian Constitution, a public sector company is defined and considered as a State. Article 12 which defines a State also includes a company. A private sector company is as good as a public sector company except that, maybe, the holdings or the strength and the other things will have to be redefined. But it will not be a very big issue in terms of legal hurdles, if some people raise that kind of issue. Sir, there is one more point on this. Since the affirmative action principle has not worked very skillfully in countries which are capitalistic or whatever I may say; which are driven by market economy. In a country like this where we have adopted a Parliamentary democracy, where we have adopted the principle of social justice with equity and where we have adopted various other democratic and rights' principles, it will not be a very big venture if we go into this and at the same time also continue our efforts.

With these words, I suggest that such a venture will not only mitigate the exploitative system that has been going on for centuries, but also it will give a new vision to this country and to our society. Hence I support the resolution. Thank you.

SHRI JAIRAM RAMESH (Andhra Pradesh): Mr. Vice-Chairman, Sir, this is not my maiden speech. I have been asked by my party to speak on this subject. I reserve the right to make my maiden speech little later.

The hon. Member, Shri Gavai referred to me when he was making his introductory remarks. I would like to give a brief background to the incorporation of this commitment in the Common Minimum Programme of the UPA Government. If you will recall, Sir, the exact words that were used are 'the UPA Government is committed to starting a national dialogue with all political parties and with industry on the issue of affirmative action including reservations for the Schedule Castes and the Scheduled Tribes in the private sector.' This commitment in the UPA goes back to the manifesto of the Congress Party and the manifestoes of various other political parties all of which have been concerned about the growth of employment in general and particularly about the shrinkage of employment opportunities in the public sector following the policies of privatisation that has been adopted. In fact, the commitment of our party has always been that even where privatisation is essential or even where privatisation becomes necessary, reservations for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes must continue for a period of at least 10 years after the privatisation has been completed. This was a Resolution that our Party adopted at Bangalore three years ago and this is a demand that has been repeatedly made by the Congress President both in Parliament and outside. Unfortunately, the policy of the previous Government was of privatisation but not of accepting the need for reservations for the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes in the privatised public sector. It would not be an exaggeration to say that in spite of all our best efforts the previous Government did not accept this policy of reservations in the privatised public sector units. In fact, personally, for the last two years, I was engaged in a dialogue with the former Minister for disinvestment, who unfortunately is not here, for introducing this policy of reservation in the privatised public sector units. It was too much to expect this policy to be adopted by a gentleman who wrote a book called "Worshipping False Gods" which was a blasphemous attack on Dr. Ambedkar. Nevertheless, I did make that effort, but I am sorry to say that that effort proved to be totally unsuccessful.

I think the first thing that we need clarity on is in areas where privatisation becomes essential, in areas where privatisation becomes inevitable for a number of reasons, What is the policy of reservations? I think here the policy of the Government as articulated in the manifestoes of many of the constituent units of the UPA is that where privatisation is essential, where privatisation becomes inevitable, reservation for the

[16 July, 2004]

RAJYA SABHA

Scheduled Castes and the Scheduled Tribes should continue and privatisation should not be at the cost of reservation. However, this Resolution that has been introduced by Shri Gavai, goes beyond privatisation. It talks of reservations for the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes in the private sector itself. This is not a new demand and this has been on the agenda for many many years. In spite of this we have not been able to get great clarity on this because of the great fear expressed by the Indian industry particularly that Reservations would impede efficiency....that reservation would come in the way of productivity, and that the reservation would come in the way of goals of international competitiveness. That is why, Sir, the language that is used in the Common Minimum Programme is that rather than introducing reservation overnight by legislation, we should start a dialogue, take six months, eight months, or twelve months, take people into confidence, take industry into confidence, and create a climate—both, the political climate as well as an overall climate in the media—that would make reservation in the private sector also acceptable.

I think, the objectives of this Resolution would be met if the Government were, in fact, to start this process of dialogue. The Government is only about a month-an-a-half old and, I am sure, in the days ahead, this dialogue process would continue.

I would urge the hon. Member to accept the spirit of the Common Minimum Programme which doesn't say that we will introduce reservation but makes a commitment to start the dialogue process, to make reservation politically, socially and economically acceptable as well. Sir, we have seen in 90's how the sudden introduction of reservation created social and political dislocation. We don't want that situation to repeat itself. We want reservation to be introduced. We want affirmative action to be introduced in a manner that would be acceptable to all parties concerned.

The hon. Member himself has given, as many ideas on affirmative action, that can go beyond reservation. He has talked about the Bhopal Declaration which was adopted by the erstwhile Government of Madhya Pradesh, headed by Shri Digvijay Singh. That Declaration, Sir, was drafted by a group of very eminent *dalits*. They had recommended that in addition to reservation, not as a substitute for reservation, various Governments—Central Government and State Governments—should

examine the possibility of using instruments like the Government's procurement to promote entrepreneurship and employment among Scheduled Caste and Scheduled Tribe youth.

To give you an example, every year, the Madhya Pradesh Government buys Rs. 400-500 crores worth of goods and commodities for use in the Government machinery. The Bhopal Declaration said that one-third of this procurement should be by businesses started and operated by Scheduled Caste and Scheduled Tribe youth. I think, in addition to reservation, Sir, there are other instruments that can be used. The Government's procurement is certainly one instrument. There are other areas of affirmative action that the Government can explore in order to provide more employment opportunities for Scheduled Castes and Scheduled Tribes youth.

Therefore, Sir, to summarise, I would say that in so far as the privatised public sector is concerned, there should be, really, no disagreement on the need to continue with reservation even in those areas where privatisation becomes inevitable. Sir, there may be differences between Mr. Vijayaraghavan's party and my party on privatisation, but where privatisation becomes inevitable and essential, I would argue that reservations for Scheduled Castes and Scheduled Tribes should continue and that is the categorical assertion that can be made on behalf of the Government.

However, on the issue of reservation in the private sector, I think, as of now, all that we should realistically accept is the starting of a dialogue process, with all political parties, with all State Governments, with industry, with trade, with the ultimate objective, maybe, in six months or twelve months from now, to talk of the Government's procurement, job quota, reservation, so that the climate is created in the country rather than introducing reservation overnight in a manner that could lead to social or political dislocation. Thank you.

SHRI SILVIUS CONDPAN (Assam): Mr. Vice-Chairman, Sir, thank you, for giving me this opportunity to participate in this Resolution brought forward by my hon. friend, Shri Gavai. The resolution has had the support of good many speakers on various points. Sir, the Resolution is particularly for an extension of reservation policy for the SCs, STs and OBCs in the private sector. Sir, before that, the private sector appears to

[16 July, 2004]

RAJYA SABHA

be very difficult because they are talking about reduction in quality, reduction in working conditions and so many other things. But, Sir, if you go back to see what is the situation in the Government and public undertaking Departments, you will find that there is this so-called popular word 'backlog'. Why has this problem of backlog been created?

5.00 P.M

It is because of the apathetic attitude of implementing agencies of the reservation system about which it appears to us that there is no authority whatsoever to go into this attitude of the bureaucrats and see how so much backlog situation has been created in the last 50 years. This backlog situation has gone into the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes in such a way that there is a feeling that there is no one to see to their exploitation in spite of the fact that they have a Constitutional provision. Dr. Ambedkar made this provision of reservation in the Constitution, which was supported by Pt. Jawaharlal Nehruji and Gandhiji and pursued by Indira Gandhi and Rajiv Gandhi. Today with the same persuasion our hon. Leader Sonia Gandhi has also created an atmosphere of going into the sense of deprivation among SCs, STs and OBCs and for ensuring the legitimate right of reservation facilities in the matter of employment and in many other things which they should get from the Government. This is not there. The implementing agencies do not bother that this is a breach of Constitutional provision if these people are deprived of their rights. Sir, as a matter of fact, I would like to point out that for marginal farmers belonging to Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes in different States there was a Minimum Need Programme Scheme for giving household items and also giving them some money for putting up dwelling houses. These things have also been discontinued in many States. I have come across this problem in many States. All these things were done during the Congress regime in different States. But due to unfortunate political changes, this kind of provision for SCs, STs and OBCs that was being pursued by the Congress Government has been discontinued. Today I am grateful to the UPA Government, under the

leadership of the Congress Party, has come forward to do away with this long-standing exploitation that was prevailing against the interest of SCs, STs and OBCs. I hope our Government in the course of time will come forward with a piece of legislation for an amendment in the Constitution for making rigorous provisions for punishing those persons who are violating these rules and not extending facilities to the SCs, STs and OBCs. They have to face the penalty. As there is no such provision that is why anybody does anything. They can play with the rights and duties of the SCs, STs and OBCs. Today's Resolution gives me the greatest encouragement. I come from the same group of people and I have been there and I am one among them. I have seen how they are being deprived of. If there is no provision, any good officer, he or she, may say, "No, no, he belongs to SC or ST or OBC, he should be given one of the three or four or five posts." That is a kind of goodwill only. It is not coming to our people as a matter of right, as a matter of Constitutional provision. This kind of attitude will have to be removed. I am very hopeful with this Resolution that some consensus will come will emerge against this continuous long, long exploitation against the Constitutional provision to the SCs, STs and OBCs and it should be stopped immediately. Sir, there is a provision called IAY, i.e. Indira Awas Yojana. It is a Central Government scheme. It goes to different States. It is stipulated for the SCs, STs and Other Backward Classes people. These provisions of the Central Government are being flouted by the Government officers. There is no one to question them and nobody hears. It becomes a cry in the wilderness for those people to come and even get their share in the matter of getting Indira Awaas Yojana in the rural areas. So, Sir, what a pitiable condition is prevailing even if there are official provisions laid down by the Constitution to give the minimum to the maximum privileges to the SCs, STs and Other Backward Classes people. It does not reach them. This has to be done away with and I hope our present Government under the leadership of the Congress and under special interest of our leader Shrimati Sonia Gandhi will definitely get some solution and the STs, SCs and Other Backward Classes people will see a new era in their area and get their constitutional rights. With these works I thank you again for giving me this opportunity to speak. Thank you.